

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा (वी.आई.) के 64 पदों पर जारी विज्ञापन संख्या 01/2021-22 दिनांक: 31-12-2021 अन्तर्गत आदेश दिनांक: 17-04-2022 में प्रोविजनल (अस्थाई) चयनित अभ्यर्थियों में से जिला स्तर पर अपात्र एवं निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से रिक्त रहे पदों के विरुद्ध पूर्व में जारी दो गुणा सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा सूची में चयन कर जिला आवंटित किया जाता है :-

Sr No.	Merit No.	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Cat	SEL_CAT	SEL_EN	SPL_Cat	Alloted District
1	WL-64	202218283086	MANISHA	GOPAL LAL MEENA	24/10/1999	Female	ST	ST	GEN	-	TONK
2	WL-65	202218089043	BABU LAL	CHUTRA RAM	30/09/1996	Male	OBC-NCL	UR	GEN	BL	BHILWARA
3	WL-66	202218233382	KAILASH TANDI	HUKMA RAM	15/07/2000	Male	OBC-NCL	UR	GEN	LD	PALI
4	WL-67	202218465314	PARDEEP SINGH	JAIBIR	20/08/1987	Male	GENERAL	UR	GEN	LD	SRI GANGANAGAR


उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल प्रथम, सामान्य/विशेष शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का जिला आवंटन तथा नियुक्ति/पदस्थापन सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश कुमार शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाएँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी.बी. सिविल (पीआईएल) रिट याचिका संख्या 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टेड याचिका संख्या 5078/2022, 4721/2022, 5079/2022, 5076/2022, 5077/2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।


(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.)
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अ.भर्ती.2021-22/गैर.अनु./ले-1/वि.शि. (वी.आई.)/2022 दिनांक: 13/9/22
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उपायुक्त, शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति संबंधित नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा संबंधित के पेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में जिला परिषद् से सम्पर्क कर नियुक्ति संबंधित नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जोधपुर/जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर